5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

20 JUL 2026

20 JUL 2026

20 JUL 2026

20 JUL 2026

434
20.7.26

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि
दीवानी विभाग
मथुरा उत्तर प्रदेश

BAR ASSOCIATION
MATHURA

A

26/1

न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मथुरा

वाद संख्या- वर्ष- 2025

[illegible] बनाम [illegible]

1. वाद संस्थित होने का दिनांक- 31-5-25
2. वाद का मूल्यांकन- 15, 166.50
3. वादी अधिवक्ता का नाम- अभिमन्यु सिंह
4. प्रतिवादी अधिवक्ता का नाम-
5. वाद का प्रकार- स्थाई निषेधाज्ञा

31-5-2025

मुसरिम आख्या का अवलोकन किया। वाद नियमानुसार पंजीकृत हो।

प्रतिवादी को सम्मन वास्ते प्रस्तुत करने प्रतिवादपत्र आदि दिनांक 6.8.25 के लिए एवं वास्ते विरचित किए जाने वादबिन्दु दिनांक 6.8.25 के लिए नियमानुसार जारी किए जावे। वादी द्वारा इस हेतु पैरवी अंदर तीन दिन की जावे।

31/05/25

सिविल जज जूनियर डिवीजन
मथुरा।

31.05.25

पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश मथुरा के आदेशानुसार न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायालय संख्या 9 मथुरा में स्थानांतरित किया गया।

सिविल जज (जूनियर डिविजन)
मथुरा

जिला एवं सत्र न्यायालय … उत्तर प्रदेश

28/2

न्यायालय- अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 09 मथुरा।

मूलवाद सं०- 926/2025

चेतन शर्मा-----बनाम-----योगन्द्र पाल सिंह

दिनांक- 31.05.2025

पत्रावली पेश हुई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 6ग मय शपथ पत्र 7ग पर एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग के माध्यम से, प्रतिवादीगण को बजरिए अस्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र में वर्णित एक किता सम्पत्ति खसरा नं० 204 रकवा 4.1320 है० में से .11973 है० बराबर 1197.30 वर्ग मीटर स्थित मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा, जिसकी पैमाइश उत्तर व दक्षिण 80 फीट, पूर्व 156 फीट व पश्चिम 166 फीट, जिसकी सीमायें पूर्व खसरा नं० 213, पश्चिम शेष खसरा नं० 204, उत्तर खसरा नं० 208 व 211, दक्षिण मुख्य मार्ग वाद पत्र के अन्त पर दी गयी है तथा जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर ए०बी०सी०डी० से प्रदर्शित किया गया है, से वादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा करने से सम्पत्ति पर निर्माण इत्यादि करने व सम्पत्ति पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने से अथवा अन्य किसी प्रकार से वादीगण के शान्तीपूर्ण आधिपत्य में स्वयं व अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषेधित करने की सुविधा चाही गयी है। कागज सं० 11ग सूची से एक किता असल विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2024, एक किता असल विक्रय पत्र दिनांकित 10.02.2023 व एक किता नकल खतौनी दाखिल किया गया है। उक्त पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.06.2024 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 व प्रतिवादी संख्या 04 के द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति का पंजीकृत बैनामा क्रेता वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया जाना उल्लिखित है। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के बाबत वादीगण के शांति पूर्ण अध्यासन में हस्तक्षेप करने से नियत तिथि तक रोका नही गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना एवं वाद दाखिल करने का उद्देश्य विफल होना सम्भाव्य है।

अतः उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे नियत तिथि तक विवादित संपत्ति खसरा नं० 204 रकवा ~~0.1197~~ 0.11973 है० बराबर 1197.30 वर्गमीटर स्थित जिसकी पैमाइश उत्तर व दक्षिण 80 फीट, पूर्व 156 फीट व पश्चिम 166 फीट, जिसकी सीमायें पूर्व खसरा नं० 213, पश्चिम शेष खसरा नं० 204, उत्तर खसरा नं० 208 व 211, दक्षिण मुख्य सड़क पर वादीगण के कब्जा दखल के सम्बन्ध में यथास्थिति कायम रखें। वादीगण आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. का अनुपालन अविलम्ब करें। यदि वादीगण द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार सम्यक् रूप से पैरवी नहीं की जाती है तो यह आदेश स्वमेव निष्प्रभावी होगा अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य छिपाया गया होगा अथवा ऐसे तथ्य को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया होगा जिसको न्यायालय के संज्ञान में लाना पक्षकार की जिम्मेदारी थी तो उस तथ्य के प्रकाश में आने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझा जायेगा। वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग दिनांक 14.07.2025 की तिथि नियत कर प्रतिवादीगण असली को नोटिस जारी हो

31/05/25

अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय संख्या 09
मथुरा

प्रार्थनापत्र कागज सं०-08ग

प्रार्थनापत्र पर 08ग बाबत मौके की अमीन आख्या मंगाये जाने पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रार्थनापत्र 08ग अमीन अदालत को मौका मुआयना कर मौके की आख्या प्रस्तुत करने व न्यायालय द्वारा पारित आदेश, नोटिस व सम्मन की तामील प्रतिवादीगण असली पर करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अदालत अमीन को आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सूचित करते हुए विवादित स्थल का निरीक्षण कर अपनी आख्या मय मानचित्र नियत तिथि तक न्यायायलय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वादीगण आवश्यक पैरवी अन्दर तीन दिन करे।

प्रतिवादीगण असली पर सम्मन नोटिस नियमानुसार जारी हो। तदनुसार प्रार्थनापत्र 08ग निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियत दिनांक 14.07.2025 को पेश हो।

31/05/25

अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय संख्या 09
मथुरा

14/07/25
पत्रावली प्रस्तुत।
वादी उपस्थित।
प्रतिवादी सं. 4 व 5 पर की गई
समन/नोटिस की पैरवी
बजरिये रजिस्टर्ड डाक रसीद
डाक का. सं. 16 ग व 17 घ पत्रावली
पर संलग्न है। बिलम पर अंकित
है कि प्राप्तकर्ता ने लेने से
इंकार किया। अतः सम्यक
अदालत तामील पर्याप्त। शेष
प्रतिवादीगण पर की गई पैरवी
वापस प्राप्त नहीं हुई। इंतजारी
वास्ते दि. 14/08/25 को
पेश हो वास्ते प्रस्तुति 6ग/w.s.
T.S. प्रभारी लेखक

प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ... समन/नोटिस की पैरवी बजरिये रजिस्टर्ड डाक कागज सं. 16 घ व 17 घ पत्रावली पर संलग्न है। बिलम पर अंकित है कि प्राप्तकर्ता ने लेने से इंकार किया। अतः तामील पर्याप्त। शेष प्रतिवादीगण पर की गई पैरवी वापस प्राप्त नहीं है। इंतजारी में दि. 14/08/25 को पेश हो वास्ते प्रस्तुति 6ग/w.s.

Abb for Ptf for 14.8.25

जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा
प्रतिलिपि दीवानी विभाग
मथुरा उत्तर प्रदेश

14/08/25
04/09/25
पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं।
वादी उपस्थित।
वास्ते प्रस्तुति 6ग/w.s. हेतु
04/9/25 को पेश हो।
T.S. प्रभारी

Priyanka for Ptf 4.9.25

for 4/9

न्यायालय JM 09 मथुरा
OS 926/2025
चेतनगुरी / योगेश पाल

2/3 A

04/09/25

पत्रावली प्रस्तुत।
वादी उपस्थित।

प्रतिवादी सं. 3 पर समन रजि. AD से तामील होकर पत्रावली पर संलग्न है। अतः अदालत तामील पर्याप्त मानी जाती है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 पर नोटिस व समन की रिपोर्ट अप्राप्त है अतः वास्ते W.S/Issues हेतु दि० 10/10/25 प्रतिवादी [illegible] सं. 1 व 2 पर वादी समन AD से तामील होकर पत्रावली पर संलग्न है। अदालत तामील पर्याप्त। वास्ते W.S/Issues हेतु पेश हो। T.I पुनः [illegible]

JM

प्रतिवादी सं. 3 पर समन रजि. AD से तामील होकर पत्रावली पर संलग्न है। अदालत तामील पर्याप्त। वादी प्रतिवादीगण 1 व 2 पर नोटिस व समन की रिपोर्ट अप्राप्त। इस प्रकार से वास्ते W.S/Issues हेतु दि० 10/10/25

प्रतिवादी सं० 1 व 2 पर समन 1/2 के तामील होकर पत्रावली पर संलग्न है। अदालत तामील पर्याप्त। वास्ते W.S./Issues हेतु पेश हो। T.I. की अवधि extended

वादकारी प्रतिवादीगण सं. 01 की ओर से प्रा.पत्र 20ग, [illegible] 21ग दाखिल
वादी प्रति सं. 6, 7, 8 व 10 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया

JM

10/10/25

जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा उत्तर प्रदेश

10/10/25
30/10/25

P.O महोदय अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते W.S/Issues हेतु दि० 30/10/25 को पेश हो।

न्यायालय जज, मथुरा
O.S. 926 / 2025
चन्द्रपाल आदि / मोहल्ला पांडे पालीवाल आदि

प्रतिवादीगण
6 ता 10
द्वारा W.S. / आपत्ति pw
दाखिल
किया गया W.S / Replica / Issues / 6ग
वास्ते
दि. 19/11/25

3/10/25
पत्रावली प्रस्तुत।
प्रतिवादीगण 6 ता 10 द्वारा W.S / आपत्ति दाखिल किया गया।
वास्ते W.S / Replica / Issue / 6ग
दि० 19/11/25 को पेश हो।
T.J प्रभारी रहेंगे।

जज

Bhy
for 19/11

Abh
6.19.11
del.
दि 19/11/25.

for
1/12/25

19/11/25
01/12/25

P.O महोदय अवकाश पर है।
वास्ते W.S / रिप्लिका / Issues / 6ग दि० 1/12/25 को पेश हो।
T.J प्रभारी रहेंगे।

[illegible]

K. [illegible]

[illegible]
1/12/25

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि
दीवानी विभाग
मथुरा, उत्तर प्रदेश

8/12/25
पत्रावली प्रस्तुत। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा W.S 26 क व 6ग पर आपत्ति 28 ग दाखिल की गयी पुनः 2 वाले पेश है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की तरफ से न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई W.S दाखिल किया गया। अतः वाद की कार्यवाही प्रतिवादी 3 ता 5 के विरुद्ध एक पक्षीय अग्रसरित। प्रतिवादी सं० 6 ता 10 हाजिर आए। वास्ते इशू / 6ग 8/12/25 को पेश हो। T.J प्रभारी

Abh
8.12.25

दि 8/12/25

प्रतिवादी सं. 1
व 2 द्वारा pw
W.S 26क व D.
6ग पर आपत्ति
28ग दाखिल की गयी
पुनः P2 को पक्षी है।
प्रतिवादी सं. 3 ता 5 की तरफ से न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई W.S दाखिल किया गया। अतः वाद की कार्यवाही प्रति. सं. 3 ता 5 के विरुद्ध एकपक्षीय [illegible]
6 ता 10 हाजिर
वास्ते इश्यू 6ग
08/12/25 का पक्ष है।
T.J [illegible]
extended [illegible]

वाद संख्या - 926/25
चेतन गर्ग - बनाम - ... प्रदेश

2के A
/5

8/12/25
11/12/25

P.X.
D.y.no. 1822
D.y.no. 6 ता 10

02 बजे

पत्रावली प्रस्तुत। पक्षकार उपस्थित। प्रतिवादी 1, 2, 6 प्रा० पत्र 6ग पर प्रतिवादी 1, 2, 6 ता 10 को सुना गया। पुनः 02 बजे वास्ते सुनवाई ता 10 को सुना गया/ पुनः 2 बजे वास्ते सुनवाई वादी पेश हो। 1:15 पर वादी ... प्रा० पत्र 31ग एवं प्रतिउत्तर शपथपत्र 30क प्रस्तुत किया गया। आपत्ति आमंत्रित। वास्ते आ० नि० हि० 11/12/25 को पेश हो।

वादी पेश। 01:15 पर वादी द्वारा उपयुक्त 31ग एवं प्रतिउत्तर शपथपत्र 30क प्रस्तुत किया गया। आपत्ति वास्ते ... 31ग हि० 11/12/25

T.I. till extended

Abl
11.12.25

जिला एवं सत्र न्यायालय
उत्तर प्रदेश

11/12/25
पत्रावली प्रस्तुत। 31ग पर प्रतिवादी द्वारा प्रा० पत्र ... की गयी। आपत्ति 32ग दाखिल की गयी। समय वादी द्वारा प्रति उत्तर हेतु समय याचना किया गया। वास्ते प्रतिउत्तर/ सुनवाई 31ग/6ग हेतु 15/12/25 को पेश हो। T.I. तब तक जारी रहेगा।

JMS

प्रतिवादी द्वारा प्रा० पत्र 31ग पर आपत्ति 32ग दाखिल की गयी। वादी द्वारा प्रतिउत्तर हेतु समय याचना किया गया। वास्ते प्रतिउत्तर/ सुनवाई 31ग/6ग हि० 15/12/25

T.I. till then extended

15/12/25
18/12/25

अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं। वास्ते प्रतिउत्तर/ सुनवाई 31ग/6ग हि० 18/12/25 को पेश हो।

del. 18/12/25
18/12/25

Prinjmk for 15/12/25
for 18/12/25
K. ... A.I.-D

वाद संख्या 426/2025
चेतन गर्ग - बनाम - पंकज

18/12/25
अधिवक्तागण कार्य विरत रहे
वास्ते सुनवाई 33ग/6ग
दि० 23/12/25 को पेश
हो T.I प्रभावी रहेगा।

JMS

23/12/25
2/1/26

P.O महोदया अवकाश पर है।
प्रतिवादी 1 व 2 के द्वारा वकालतनामा 33ग
दाखिल किया गया। वास्ते सुनवाई
33ग/6ग दिनांक 02/1/26 को
पेश हो। T.I. प्रभावी रहेगी।

I/c JMS

2/1/26

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि दीवानी विभाग
मथुरा उत्तर प्रदेश

02/01/26
पत्रावली पेश हुई। पुकार पर
पक्षकार उपस्थित। प्रार्थना पत्र 33ग
पर पक्षकारों के विद्वान
अधि० गण को सुना
आदेश शेष सुनवाई/आदेश
दिनांक 07/01/26 को
पेश हो। T.I till then extended.

प्रार्थना पत्र 33ग
पर पक्षकारों को
सुना
आदेश हेतु
आदेश शेष सुनवाई
दि० 07/01/26 को पेश हो
T.I till then extended

07/01/26
पत्रावली पेश हुई पुकार पर पक्षकार
उपस्थित वादीगण का प्रार्थना पत्र 33ग प्रस्तुत कर कमीशन
से पैमाइश कराये जाने की प्रार्थना की गयी है
अतः प्रार्थना पत्र 33ग के निस्तारण से पूर्व कमीशन रिपोर्ट
का निस्तारण किया जाना
है 15ग/1 व 15ग/2 कमीशन रिपोर्ट लिप 15ग/1 व 15ग/2
कमीशन प्रेषित होना है। कमीशन रिपोर्ट आपत्ति 15ग/1 व 15ग/2
पर आपत्ति मांगे जाने हेतु
दिनांक 12/01/26 को पेश हो। T.I till then extended.

वाद संख्या 926/2025
चेतन गर्ग - योगेन्द्र पाल

A

12/1/26
15/1/26

अधिवक्तागण शोक प्रस्ताव के कारण न्यायिक कार्य से विरत हैं। वास्ते आ०/प्रा० 15ग/1 व 15ग/2 डि० 15/1/26 को पेश हो। T.J प्रभावी

15/01/26

15/1/26

15/1/26 अवकाश
16/1/26
23/1/26

अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं। वास्ते आ०/प्रा० 15ग/1 व 15ग/2 डि० 23/1/26 को पेश हो। T.J प्रभावी

23/01/26

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा उत्तर प्रदेश
प्रतिलिपि दीवानी विभाग

23/1/26
29/1/26

पत्रावली प्रस्तुत। पेशकार उपस्थित। वास्ते आ०/प्रा० 15ग/1 व 15ग/2 डि० 29/1/26 को पेश हो। T.J प्रभावी।

for 29-1-26

29/1/26

29/1/26
2/2/26

PP
dy 1, 2, 6, 7, 8, 10

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अमीन रिपोर्ट/नेप पर आपत्ति प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल की गयी। वास्ते सुनवाई दि० 2/2/26 को पेश हो। T.J प्रभावी।

अमीन रिपोर्ट/नेप पर आपत्ति प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल की गयी। वास्ते सुनवाई दि० 02/02/26 को पेश हो।

प्रतिवादी T.J till then extended

(1) [signature] 2/2/26

2/2/26
11/2/26

P.O महोदय ट्रेनिंग पर हैं। वास्ते सुनवाई दि० 11/2/26 को पेश हो। T.J प्रभावी।

del. 2/2/26.
Priyanka for 11/2/26

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि दीवानी विभाग
मथुरा उत्तर प्रदेश

11/02/26

PP
dy no. 1, 2, 6, 7, 8, 10

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार उप० पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को अमीन रिपोर्ट/नेप 15 क तथा आपत्ति 31 ग पर सुना गया। आदेश हेतु दि० 13/02/26 को पेश हो।

TI till then extended

न्यायालय- अपर सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-09 मथुरा

वाद संख्या 926/2025

चेतन गर्ग बनाम योगेन्द्र पाल सिंह

दिनांक 13.02.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र 31 ग

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को अमीन रिपोर्ट एवं मानचित्र कागज संख्या 15 ग/1 व 15 ग/2 एवं उक्त पर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों कागज संख्या 34 ग व 35 ग एवं प्रार्थना पत्र 31 ग पर सुना गया।

2. प्रार्थना पत्र 31 ग वादीगण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अमीन द्वारा अपनी आख्या प्रतिवादीगण के दबाव में आकर सही तथ्यों को छिपाते हुए संपत्ति की पैमाइश नहीं दी गयी है। अतः अमीन को निर्देशित किया जाए कि वह अमीन आख्या में दर्शित अक्षर E,F से प्रदर्शित बाउंड्री की लंबाई तथा अक्षर E से 80 फीट मापकर विवादित संपत्ति की पैमाइश आख्या प्रस्तुत करें। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा अमीन आख्या एवं मानचित्र 15 ग के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण अमीन आख्या एवं मानचित्र 15 ग के साथ किया जाना न्यायहित प्रतीत होता है। मेरे द्वारा अमीन आख्या एवं मानचित्र 15 ग का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अमीन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में विवादित संपत्ति को अक्षर A,B,C,D से दर्शित किया गया है परन्तु अमीन द्वारा उक्त की लंबाई, चौड़ाई दर्शित नहीं की है। यहां पर यह भी कहा जाना समीचीन होगा कि अमीन द्वारा अपनी आख्या में वादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित राहुल सहगल के मौखिक रूप से बताये जाने पर अपने नक्शा नजरी में अक्षर E,F,A चिन्हित किया है। सर्वप्रथम उल्लेखनीय यह है कि उक्त राहुल सहगल न तो प्रस्तुत वाद में पक्ष मुकदमा हैं और न ही वह वादीगण की तरफ से प्रस्तुत वाद में नियुक्त विद्वान अधिवक्ता हैं। अमीन द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का गलत रूप से प्रयोग करके प्रश्नगत संपत्ति के बाबत किसी अन्य व्यक्ति के मौखिक कथन करने पर उसे अपनी आख्या तथा मानचित्र में दर्शित किया है जोकि विधिसंगत नहीं है और न ही अमीन ने अपने मानचित्र में यह कहीं भी स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा अक्षर E,F,A से जो दर्शित किया गया है वह क्या है? यहां पर यह कहा जाना समीचीन होगा कि जब विवादित संपत्ति की मौके की स्थिति स्पष्ट नहीं हो तब न्यायालय वहां पर सहायक अमीन के माध्यम से विवादित विषय को स्पष्ट करने के प्रयोजन से स्थानीय जांच करवाती है, परन्तु अमीन द्वारा विवादित विषय के संबंध में जो आख्या प्रस्तुत की गयी है वह अपूर्ण, अस्पष्ट एवं भ्रामक है। अतः अमीन आख्या एवं मानचित्र 15 ग/1 व 15 ग/2 उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

3. जहां तक वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 31 ग के माध्यम से यह याचना की गयी है कि अमीन को यह निर्देशित किया जाए कि अमीन आख्या में अक्षर E,F से प्रदर्शित बाउंड्री की लंबाई तथा अक्षर E से 80 फीट माप कर विवादित संपत्ति की पैमाइशी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तो उक्त के संबंध में यह कहा जाना समीचीन होगा कि वादी जिस अक्षर E,F की लंबाई तथा अक्षर E से 80 फीट माप कर पैमाइशी आख्या अमीन के माध्यम से प्रस्तुत कराना चाहता है उसे अमीन द्वारा अपनी

13/02/26

आख्या में विवादित संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाया गया है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिस संबंध में अनुतोष चाहा गया है उसकी स्थिति उपरोक्त निष्कर्षानुसार अमीन आख्या एवं मानचित्र में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 31 ग स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अमीन आख्या एवं मानचित्र 15 ग/1 व 15 ग/2 निरस्त किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 31 ग को निरस्त किया जाता है। पक्षकारों की आपत्तियां तद्नुसार निस्तारित की जाती हैं। अमीन को यह आदेशित किया जाता है कि वह पक्षकारों एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में विवादित स्थल का निरीक्षण कर अपनी स्पष्ट आख्या दिनांक 06.03.2026 तक प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते अमीन आख्या/मानचित्र दिनांक 06.03.2026 को पेश हो। वादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करें। T.J. प्रभारी

दिनांक 13.02.2026

(इशिका सिंह) 13/02/26
आई०डी०-UP3448
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या 09, मथुरा

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि
दीवानी विभाग
मथुरा उत्तर प्रदेश

6/3/26

अधिवक्तागण शोक प्रस्ताव के कारण न्यायिक कार्य से विरत हैं। वास्ते आख्या/मानचित्र दि० 24/3/26 को पेश हो। T.J. प्रभारी

24/03/26

24/3/26

24/3/26
30/3/26

P.O महोदय मुआयने में व्यस्त हैं। न्यायालय के आदेश दिनांकित 13/2/26 के अनुपालन में अमीन द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। अमीन को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम तिथि तक

30/3/26

CS-926/25 अ०-09

नेहा गर्ग - योगेन्द्र पाल सिंह

A

अभी आख्या मय मोजीन नक्शा जमीन के मार्क-4 मे तथा उक्त आदेश के अनुपालन से प्रस्तुत करे। कार्यालय लिपिक को यह आदेशित किया जाता है कि वह अमीन को उक्त के मार्क-4 मे रिमाइंडर अविलम्ब जारी करे। पत्रावली वास्ते अमीन आख्या / सुनवाई प्रा०पत्र 6ग दि० 30/3/26 को पेश हो। T.I प्रभारी

बावजूद अमीन आख्या / नानानिज

3ग/1 व 3ग/2 प्रार्थ

है आपत्ति अधिवक्ता

वास्ते माननीय अंतरिम दिनांक निर्णय का पड़ाव

24/03/26

30/3/26
7/4/26

P✓

पक्षकारों D✓

अधि आवेदन 6ग पर सुनवाई हेतु समय दिया गया वास्ते सुनवाई 6ग दि० 07/04/26

Priyanka Adv.P
for 7.4.26

पत्रावली प्रस्तुत। पक्षकारों द्वारा प्रा०पत्र 6ग पर सुनवाई हेतु समय याचना किया गया। वास्ते सुनवाई 3ग/6ग दि० 7/4/26 को पेश हो। T.I प्रभारी

7/4/26

07/04/26
17/04/26

पत्रावली प्रस्तुत। पक्षकार 340। वास्ते सुनवाई आ० 3ग/6ग दि० 17/04/26 को पेश हो। T.i प्रभारी।

for 17-4-26

7/4/26

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा उत्तर प्रदेश

17/9/26
15/5/26

अवकाश/ आदि हड़ताल/ पत्रावली
वास्ते [illegible] दिनांक 15/5/26
को पेश हो
T.I. [illegible] प्रभावी
रहेगा/

(P) [signature]
15/5/26

[signature]

27.4.26
PV DV ✓
T.I.
29.4.26

पुकारा/ पक्षकार उपस्थित
वास्ते [illegible] दि० 29/4/26
को पेश हो। T.I. नियत
तिथि तक प्रभावी रहेगा

[signature]
29/4/26

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा * प्रतिलिपि दीवानी विभाग मथुरा उत्तर प्रदेश *

JMOL

[signature]
29/4/26
K.P. [illegible]

29.4.26
PV DV ✓
T.I.
Amin Report 37C
11.5.26

Called out. Ld. Counsel for both the parties appeared. Heard the Ld. Counsel for both the parties on Amin Report 37C, obj 38C & Counter obj 39C. Put up on 11.5.26 for order. T.I. extend.

JD [signature]

[signature]
K.P. [illegible] Ad

Court of Additional Civil Judge (Junior Division)-II, Mathura
Chetan Garg & another vs. Yogendra Pal Singh & Others

O.S. No.926/2025

Date: 11.05.2026

Diposal of Amin Report 37C

ORDER

1. Case is today fixed for order on report 37C submitted by the Amin Commissioner. Ld.counsel for both the parties have already been heard on the previous date. Perused the record.

2. Plaintiff has filed his objection paper no.38C against the Amin report 37C mainly on the ground that the Amin Commissioner did not inform the plaintiff or his counsel before making inspection of the disputed property. The Amin report is incomplete and is insufficient to decide the matter in controversy between the parties. The previous Amin Report paper no.15C/1 to 15C/2 was rejected by the court by making specific observations that the Amin Commissioner had not shown the measurements of the boundaries disputed property in his report. The court had also observed that the said amin report was vague and misleading. Plaintiff states that it is necessary that the proper measurements of the boundaries of the disputed property comes before the court but the Amin Commissioner in order to provide undue advantage to the defendants is not deliberately submitting proper report before the court. Amin Commissioner without conducting survey of the disputed land has also specified the *khasra* numbers of the adjacent properties in his report. In the previous report paper no.15C the disputed land was shown with the letters A,B,C,D and Plot no.208 and 211 were shown to have existed in the north of the said disputed land. In the present amin report plot no.204 has been shown to exist in the north of the disputed land and the plaintiff's property, which was described in the previous amin report as plot no.213, has been shown to exist in the east. On the grounds as above, the plaintiff states that the Amin Report 37C deserves to be rejected.

3. Defendant no.1 & 2 have filed their counter-objections paper no.39C against the objections 38C of the plaintiff by stating that in compliance of the order dated 13.02.2026 the amin commissioner had informed the counsels of both the parties before making inspection of the disputed property as such the objection of the plaintiff that the amin commissioner in order to provide undue advantage to the defendants had made inspection of the disputed property without informing plaintiff or his counsel is false and unacceptable. As is evident from the plaint the plaintiff resides in Delhi as such the Amin Commissioner had informed the plaintiff's counsel and it was the duty of the counsel for the plaintiff to inform his party about the order of the court and the procedure to be carried out in compliance thereof. The inspection of the disputed property as conducted by the Amin commissioner is proper. The disputed property on which the plaintiff claims his ownership and the property of the defendants where the petrol pump is functioning have been shown in the amin report separately. The plaintiff has obtained ex-parte ad interim injunction from the court by concealing material facts and they now want to use the same in the form of permanent injunction. It is the plaintiffs burden to prove the identity of the disputed property and their possession thereon on the basis of sale deed but the plaintiffs want to collect evidence through the medium of amin report although they have no right to do so. The Amin Commissioner had in advance informed both the parties before making inspection of the disputed land but even after having complete information the plaintiff and his counsel failed to be present on the disputed spot at the time of inspection as the same cannot be a ground to reject the amin report.

4. From perusal of the record of the case it transpires that previously Amin Commissioner had made inspection of the disputed property and submitted his report alongwith map paper no.15C/1 to 15C/2 before the court on 07.07.2025. Objections from both the parties were invited against the said amin report and on the basis of the objections of the parties and after hearing both the parties the Amin Report paper no.15C was rejected

by the court vide its order dated 13.02.2026. One of grounds on which the Amin Report 15C was rejected by the court as specified in the order dated 13.02.2026 was that the disputed property was shown in the Amin Report with letter A,B,C,D but the length and breadth of the boundaries of the said disputed property was not specified by the amin commissioner. In its order dated 13.02.2026 the court had directed the amin commissioner to make inspection of the disputed property after informing both the parties and their counsel and conduct the inspection of the disputed property in their presence and thereafter submit clear and specific report before the court. In compliance of the aforesaid order dated 13.02.2026 the Amin Commissioner made inspection of the disputed property and submitted his report alongwith map paper no.37C/1 to 37C/2 before the court on 27.02.2026.

5. It has been stated by the Amin Commissioner in his report 37C that after informing the Ld.Counsels of both the parties he reached the disputed spot and made inspection of the disputed property in presence of the defendant no.6 & 8 and no one was present from the plaintiff's side on the disputed spot at the time of inspection of the disputed property. It is to be noticeable that the neither the copy of the writ issued to the amin commissioner nor any such notices served on the counsels for both the parties is available on record of the case which shows that prior intimation was given by the Amin Commissioner to the counsel for the parties before making inspection of the disputed spot. No spot memo has been prepared by the Amin Commissioner showcasing as to in whose presence the inspection of the disputed property was conducted by him nor the signatures of any independent local witnesses present on the spot have been obtained by him which depicts clear lapses on part of the Amin Commissioner in conducting inspection of the disputed land. A certified copy of the order dated 13.02.2026 is annexed with the amin report 37C showing endorsement of receiving information but again it does not specify as to actually who had received the information and endorsed their signature thereon.

Thus, there is no such material available on record of the case which shows that Amin Commissioner had informed the plaintiff's counsel before making inspection of the disputed land. The inspection was made in absence of plaintiff's counsel without preparing spot memo in accordance with law. Further, it is also to be pointed out here that the disputed land has been shown in the Amin Report 37C with the letters I,B,C,J, however, the measurements of the boundaries of the said disputed land have not been specified by the amin in his report as was directed by the court in its order dated 13.02.2026. So, in view of the discussions as above the Amin Report 37C clearly is in violation of court's order dated 13.02.2026.

6. It has been held by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Ram Lal vs. Salig Ram, AIR 2019 SC 729** that "*where the commissioner's report was found to be erroneous and contrary to the instructions of the court, the court should issue a fresh commission.*"

In view of the legal position as above, since the Amin Report paper no.37C suffers from material discrepancies and is contrary to the instructions of the court, a fresh commission in presence of both parties is necessary for just adjudication. So, let fresh writ be issued to Amin Commissioner with the direction to make an inspection of the disputed property in their presence after informing both the parties in advance of the date and time of the inspection and submit thereafter his report to the court by 22.05.2026 on the following points : -

(i) A map on scale of the disputed property as described in the plaint.

(ii) To show in the map the constructions, trees and other relevant things standing and existing on the disputed property.

(iii) To clearly specify the boundaries of the disputed property and its measurements in the map.

Plaintiffs are directed to take necessary steps forthwith. So fix 22.05.2026 for report of the Amin Commissioner. T.I Extended.

11.5.26

Addl.Civil Judge (Jr.Div)-II
Mathura

2/9 A

न्यायालय (क० डि०) - 02 मथुरा
2S - 926/25
चेतन गर्ग - आनंदपाल

02/8/26
02/7/26

पुकारा। पक्षकार पेश हुए।
अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं।
T.I. नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।
पत्रावली वास्ते निस्तारण आवेदन हेतु
दिनांक 02/7/26 को पेश हो।

CJ(JD)-2

hirwal
2/7/26
Rog

2.7.26
P✓ D✓

2-7-26

T.I.

9-7-26

पुकारा। पत्रावली पेश हुई।
पक्षकार उप०/ प्रा०पत्र, पक्ष
अधिवक्ता, प्रार्थना पत्र,
वकालतनामा प्रस्तुत/ प्रा०पत्र प्रतिवादीगण
द्वारा प्रस्तुत। पत्रावली वास्ते निस्तारण आवेदन
रिपोर्ट दिनांक 09-7-26 को पेश हो।
T.I. नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

J-2

9/7/26
(P) hirwal
9/7/26

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि
विभाग
मथुरा उत्तर प्रदेश

9-7-26

9/07/26

पुकारा। पक्षकार उपस्थित हुए।
वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
पर पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रतिवादी गण द्वारा आपत्ति दाखिल
कॉपी प्राप्त की गयी।
पत्रा० वास्ते आपत्ति निस्तारण / अग्रिम / प्रा०पत्र
रिपोर्ट दि० 27.07.26 को पेश हो।
T.I. नियत तिथि तक प्रभावी रहेगी।

JD-2

T.I. P✓ D✓
counsel.
Amicus
disposal / 43C

27-7-26

(P) hirwal
27/7/26

17.7.26 File produced by office today. Defendant counsel has filed a certified copy of the order of the Hon'ble High Court dated 9.7.26 passed in Matter Under Article 227 No. 8962 of 2026, Devendra Pal vs. Chetangoy whereby Hon'ble High Court has directed this Court to decide the injunction appl" 6C within a period of one month. So, in view of the aforesaid order of the Hon'ble High Court let the case be taken up on the date already fixed i.e. 27.7.26 for hearing on Amin Report & inj. applic. Both the parties are directed to co-operate in the proceeding of the case so that the order of the Hon'ble High Court may be complied with in order letter & spirit.

JD-2

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा * मथुरा उत्तर प्रदेश
प्रतिलिपि
दीवानी विभाग

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
20 JUL 2026

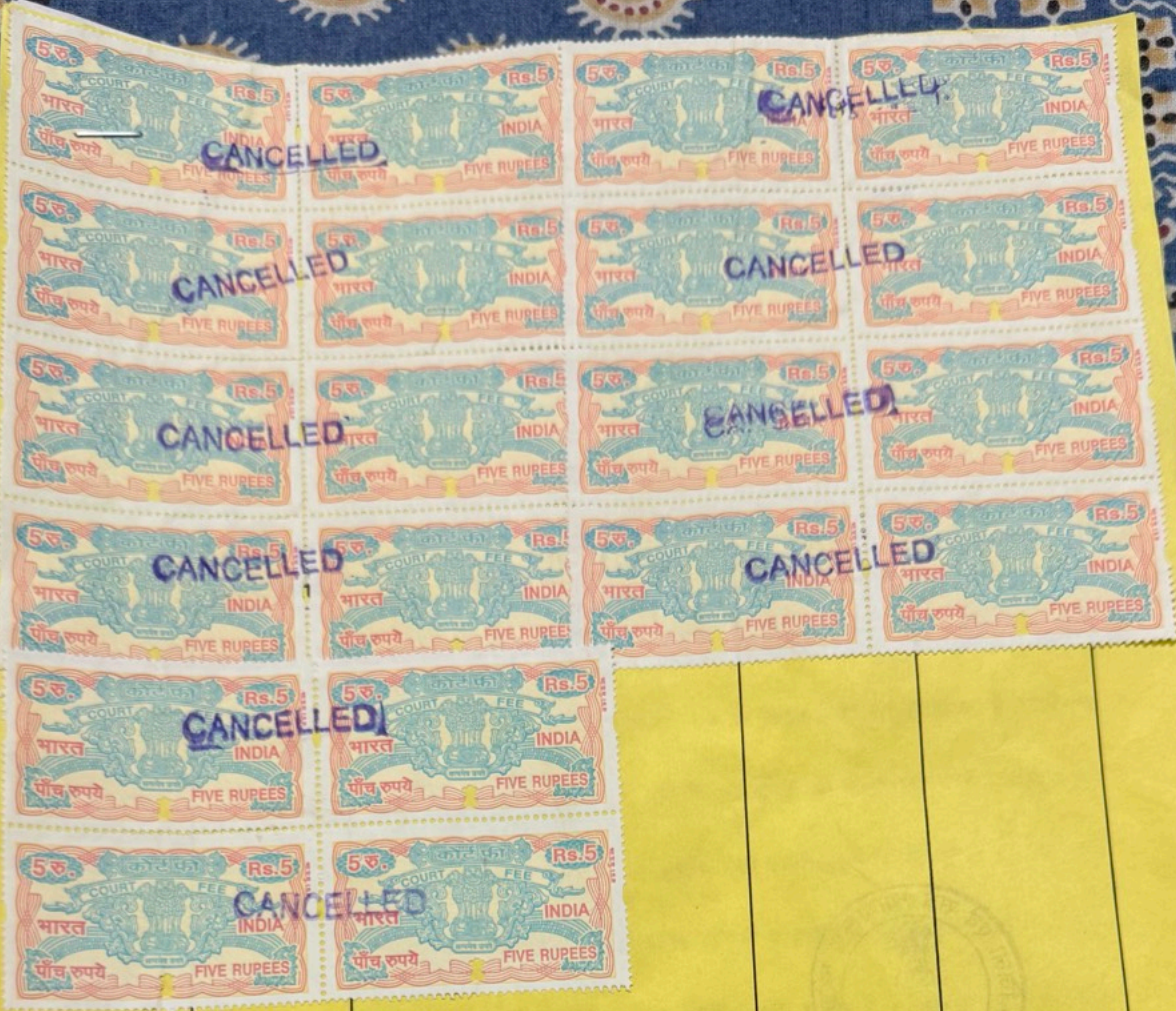

434
20.7.26

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
मथुरा उत्तर प्रदेश

20 JUL 2026

20 JUL 2026

20 JUL 2026

Abr

BAR ASSOCIATION
MATHURA

Abr

न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा।

वाद संख्या सन् 2025

चेतन गर्ग बनाम योगेन्द्रपाल सिंह

महोदय,

निवेदन है कि जैसा कि वादपत्र के विस्तृत कथनों से स्पष्ट है वादीगण संकमणीय भूमिधर मालिक व काबिज वादपत्र के अन्त पर दर्ज सम्पत्ति के बजरिये विकय पत्र दिनांक 4.6.2024 चले आते है तथा वादीगण का ही नाम राजस्व कागजात में दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 जिनके स्वंय के द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति वादीगण को विकय की गयी है , के द्वारा आये दिन वादीगण को प्रताडित एवं ब्लैकमेल करने की नीयत से सम्पत्ति से बेदखल करने की चेष्टा की जा रही है जिसका कोई अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अत्यधिक धनाढ्य व गुण्डा गिर्दी में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तथा उनके द्वारा आगामी ग्रीष्म कालीन अवकाश में वादीगण को उनकी सम्पत्ति से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की धमकी दी गयी है। प्रतिवादीगण असली द्वारा यदि ऐसा कर लिया गया तो वादीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी जिसक भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं की जासकेगी । वादीगण का प्रथम दृष्टया वादस्थापित है सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष मके है तथा निषेधाज्ञाजारी न होने वादीगण की गपूर्णय क्षति है`।

अतः निवेदन है कि दौरान सुनवाई वाद प्रतिवादीगण असली को निषेधित किया जावे कि वे एक किता सम्पत्ति स्थित खसरा 204 रकवा 4.1320 है0 में से .11973 है0 बराबर 1197.30 वर्गमीटर जिसकी सीमायें वादपत्र के अन्त पर दी गयी है तथा जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर ए0बी0 सी0 डी0 से प्रदर्शित किया गया है, से वादीगण को बेदखल कर स्वंय कब्जा करने से सम्पत्ति पर निर्माण इत्यादि करने व सम्पत्ति पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने से अथवा अन्य किसी प्रकार से वादीगण के शान्तीपूर्ण आधिपत्य में स्वंय व अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषेधित रहें ।

दिनांक 31.5.2025

प्रार्थीगण– वादीगण

द्वारा– अभिज्ञ सिंह

एडवोकेट

Abv

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि
दीवानी विभाग
मथुरा उत्तर प्रदेश

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
20 JUL 2026

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

434
20.7.26

जिला एव सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि
दीवानी विभाग
मथुरा उत्तर प्रदेश

20 JUL 2026

20 JUL

20 JUL 2026

ASSOCIATION
MATHURA

न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा।

वाद संख्या 926 सन् 2025

1–चेतन गर्ग पुत्र श्रीकृष्ण गर्ग निवासी एफ 92 द्वितीयतल न्यू सरस्वती अपार्टमेन्ट सेक्टर 9 रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली 110085

2– तीर्थचन्द गर्ग पुत्र श्री इन्दर सैन निवासी फ्लैट संख्या 407 चतुर्थ तल ब्लाक सी–1 , श्री सांई बाबा अपार्टमेन्ट सेक्टर 9 रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली 110085

––– वादीगण

बनाम

1–योगेन्द्रपाल सिंह पुत्र देवेन्द्र पाल सिंह

2– श्रीमती मीना कुमारी पत्नी देवेन्द्रपाल सिंह

निवासीगण राधा निवास वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा।

3– कृष्ण कुमार खण्डेलवाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ प्रसाद खण्डेलवाल निवासी 202/2 गीता एन्क्लेव कृष्णा नगर मथुरा।

4– कपिल जग्गी पुत्र स्व0 श्री शोरी लाल जग्गी निवासी 2108 डैम्पीयर नगर

मथुरा।

5- कैलाश चन्द उर्फ कैलाश पति पुत्र बुद्धाराम निवासी सुनरख बांगर वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा।

—— प्रतिवादीगण असली

6—कृष्ण पाल सिंह पुत्र देवेन्द्रपाल सिंह

7— संजीव कुमार पुत्र देवेन्द्रपाल सिंह

8— हरेन्द्रपाल पुत्र देवेन्द्र पाल सिंह

निवसीगण राधा निवास वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा।

9— श्रीमती उर्मिला कुमारी पत्नी नेत्रपाल सिंह निवासी दयालपुर तहसील बल्लभगढ जिला फ़िरोजाबादु।

10- देवेन्द्र पाल सिंह पु० डोरीलाल नि० राधानिवास वृन्दावन मथुरा।

<u>उपरोक्त वादीगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं ।</u>

न्यायालय, मथुरा

1— यह कि एक कित एक किता सम्पत्ति जिसकी पूर्ण विवरण व सीमायें वादपत्र के अन्त पर दी गयी हैं तथा जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर ए0बी0सी0डी0 से प्रदर्शित किया गया है। खसरा संख्या 204 रकवा 4.1220 है0 मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा में स्थित चली आती हैं ।

Chetan Garg

Abv

2–यह कि उपरोक्त सम्पत्ति की सम्पूर्ण रकवे के पूर्व संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत।9 चले आते थे तथा उनका ही नाम राजस्व कागजात में दर्ज चला आता था ।

3– यह कि जैसा कि फसली वर्ष 1428 लगायत 1433 की खतौनी से स्पष्ट है उपरोक्त वर्णित सभी संक्रमणीय भूमिधर एक ही परिवार के सदस्य हैं । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति में से .11973 है0 को बजरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.2.2023 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय किया गया । उल्लेखनीय है कि विक्रयपत्र दिनांक 10.2.2023 के जरिये विक्रय की गयी भूमि की भुजाओं का स्पष्ट विवरण उक्त विक्रयपत्र के साथ लगे नक्शे में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वर्णित किया गया तथा उक्त विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे में प्रदर्शित भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का कराया गया । विक्रय पत्र दिनांक 10.2.2023 के जरिये प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा क्रय की गयी भूमि को नक्शा वादपत्र में अक्षर ए0बी0 सी डी0 से प्रदर्शित किया गया है।

4– यह कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने के उपरांत सम्पत्ति पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कब्जा प्राप्त किया गया तथा अपनी सुविधा के अनुसार इस्तैमाल किया जाने लगा ।

5– यह कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा नक्शा वादपत्र में अक्षर ए0बी0

सी0 डी0 से प्रदर्शित सम्पत्ति विक्रय पत्र दिनांक 4.6.2024 वादीगण को विक्रय कर दिया गया तथा उक्त विक्रय पत्र की तिथि से वादीगण वादपत्र के अन्त पर वर्णित भूमि तथा नक्शा वादपत्र में अक्षर ए0बी0 सी0 डी0 से प्रदर्शित भूमि पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिज चले आते है तथा राजस्व कागजात में भी तदनुसार वादीगण का नाम दर्ज चला आता है।

6– यह कि अपनी सुविधा के अनुसार सम्पत्ति को इस्तैमाल किये जाने हेतु वादीगण द्वारा सम्पत्ति के मध्य में बाउन्ड्रीवाल लगाकर अपना अपना हिस्सा विभक्त कर लिया गया है तथा वादीगण के हिस्से को अलग करते हुये एक पक्की बाउन्ड्रीवाल जैसी कि नक्शा वादपत्र में प्रदर्शित की गयी है मौके पर कायम चली आती है। वादीगण द्वारा एक कमरे का निर्माण भी नक्शा वादपत्र में अक्षर ई स्थान पर किया गया है।

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा प्रतिलिपि विभाग मथुरा उत्तर प्रदेश

7– यह कि दोनों वादीगण दिल्ली में निवास करते हैं तथा इसी स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर सम्पत्ति की कीमतों में इजाफा हो जाने के कारण प्रतिवादीगण असली की नीयत वादीगण की सम्पत्ति पर खराब होने लगी है तथा उनके द्वारा वादीगण की सम्पत्ति से उन्हं बेदखल करने का इरादा बना लिया गया है।

8– यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा यह जाहिर किया जाने लगा है कि वे वादीगण की सम्पत्ति पर जल्द ही कब्जा लेकर उस पर एक पैट्रोल पम्प का निर्माण कर देंगे , वादीगण को अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर देंगे ।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जिनके द्वारा स्वंय उक्त सम्पत्ति को वादीगण को बेचा गया था, के द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाजायज तरीके से साथ दिया जा रहा है तथा वादीगण को अपनी सम्पत्ति से बेदखल करने की चेष्टा की जा रही है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 5 का प्रश्न उनका कोई सम्बन्ध व सरोकार वादगत सम्पत्ति से नहीं परन्तु वह भी अन्य प्रतिवादीगण असली के साथ आये दिन वादीगण को बेदखल करने की चेष्टा करता है जिस कृत्य को करने का उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

9– यह कि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत।9 का नाम राजस्व कागजात में दर्ज होने के कारण उन्हें वाद में बतौर आवश्यक पक्षकार शामिल किया जा रहा है उनके विरूद्ध कोई सुविधा इस वाद में वादीगण द्वारा याचित नहीं की जा रही है।

10– यह कि वादीगण द्वारा भरसक प्रयास प्रतिवादीगण असली को समझाने का किया गया कि वे अपना अनुचित इरादा त्याग दें तथा स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा विक्रय की गयी भूमि से वादीगण को बेदखल करने की चेष्टा न करें परन्तु प्रतिवादीगण इस हेतु तैयार नहीं हुये अतः इस वाद को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प वादीगण के पास नहीं है।

11– यह कि वाद का कारण उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के आधार पर तथा अन्तिम बाद दिनांक 20.5.2025को जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अपना अनुचित इरादा त्यागने से इन्कार किया गया इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
प्रतिलिपि दीवानी विभाग
उत्तर प्रदेश

के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ तथा इस माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने व निर्णय देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

12— यह कि वाद का मूल्यांकन न्याय सीमा निर्धारण हेतु प्रश्नगत सम्पत्ति के वार्षिक लगान 31.45 रूपये के 30 गुने मुवलिग 943.50 रूपये पर किया जाता है तथा न्याय शुल्क वास्ते सुविधा अ मुवलिग 1162.25 रूपये अदा किया जाता है।

प्रार्थना —

अ— यह कि बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण असली को निषेधित किया जावे कि वे सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण व पैमाइश व सीमायें वादपत्र के अन्त पर दी गयी है तथा जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर ए0बी0सी0 डी0 से प्रदर्शित किया गया है, सें वादीगण को बेदखल कर स्वंय कब्जा करने, पेट्रोल पम्प का निर्माण कार्य करने से याकि वादीगण के उपयोग व उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करने से अथवा अन्य किसी प्रकार से वादीगण के शान्ती पूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से स्वंय व अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निषेधित रहे।

ब— यह कि वाद का व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण असली से दिलाया जावे।

स— यहकि अन्य कोई सुविधा जिसे कि वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण असली पाने के अधिकारी पाये जावें वादीगण को प्रदान की जावे।

45/7

विवरण सम्पत्ति–

एक किता सम्पत्ति स्थिति खसरा 204 रकवा 4.1320 है0 में से .11973 है0 बराबर 1197.30 वर्गमीटर, स्थित मौजा कुनरहरा बांगर तहसील व जिला मथुरा। जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है।

पूरब– खसरा संख्या 213

पश्चिम– शेष सम्पत्ति खसरा संख्या 204

उत्तर– खसरा संख्या 208 व 211

दक्षिण– मुख्य मार्ग

प्रार्थी वादीगण

द्वारा– अभिज्ञ सिंह एड0

जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा उत्तर प्रदेश

प्रमाणित किया जाता है कि वादपत्र की मद नम्बर 1, 2,3, 4, 5, 6,7,8,9,10 का ज्ञान जातीय जानकारी से हुआ है व मद नं 11व 12 का ज्ञान जातीय सलाह कानूनी से हुआ है जो सत्य व सही है कुछ भी असत्य नहीं है ।प्रमाणित किया स्थान मथुरा आज दिनांक 31.5.2025 ई0 की गई।

प्रार्थी वादीगण

द्वारा– अभिज्ञ सिंह एड0

प्रमाणित प्रतिलिपी
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद एवं सत्र न्यायालय, मथुरा
20 JUL 2026

A

54/8

न्यायालय सिविल जज जि० मथुरा

वाद सं०   सन् 2025

चेतन गर्ग बनाम योगेन्द्रपाल सिंह

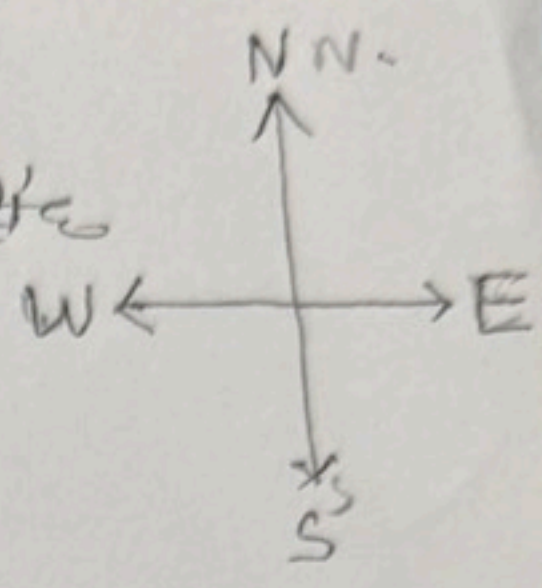

नक्शा वादपत्र

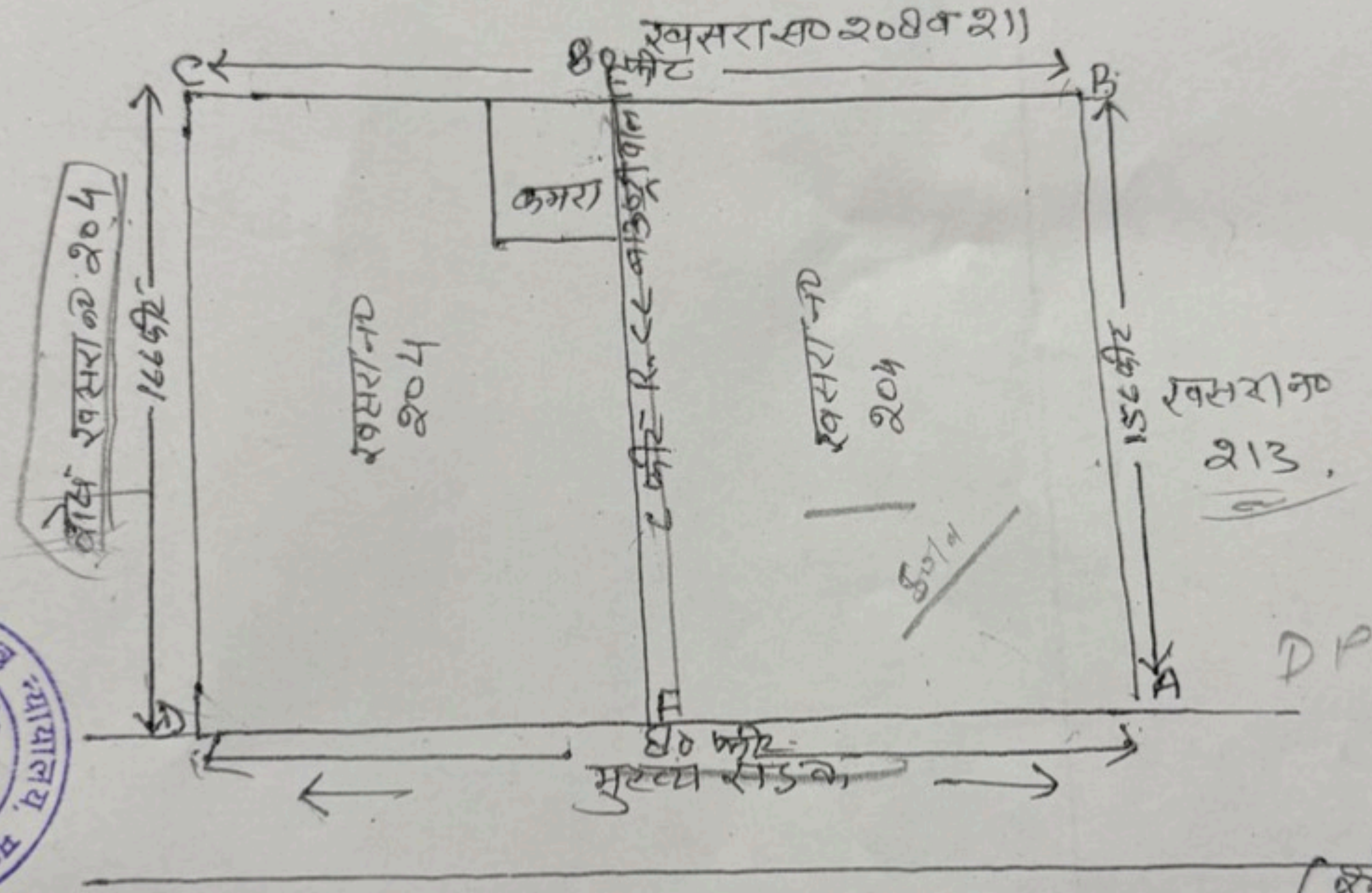

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा उत्तर प्रदेश
प्रतिलिपि दीवानी विभाग

Chetan

दिनांक 31/5/2025

वादी
द्वारा
अभिषेक सिंह
एडवोकेट